झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना संख्या/1 नि॰ (विविध)–04/16 रॉंची, दिनांक..................

विभागीय अधिसूचना संख्या–322/05 झारखण्ड ऑटोमेटेड निबंधन पद्धति (जे॰ए॰आर॰एस॰) की कंडिका–120 अन्तर्गत दस्तावेज की वापसी की प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित है। दस्तावेज पक्षकारों को अविलंब लौटाने के संबंध में निम्नांकित आदेश दिए जाते है :–

1. निबंधन पदाधिकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को दस्तावेज निबंधित कर पक्षकार को लौटाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

2. यदि दस्तावेज निबंधन के पूर्व स्थल निरीक्षण जाँच करना आवश्यक हो तो निबंधन पदाधिकारी दस्तावेज उपस्थापन की तिथि के एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण कर दस्तावेज निबंधित करना/समाहर्त्ता को मूल्य निर्धारण हेतु निर्दिष्ट करना सुनिश्चित करेंगे।

3. यदि अन्य किसी कारणवश दस्तावेज का निबंधन लंबित रखना आवश्यक हो तो दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को प्रस्तुतकर्त्ता को दस्तावेज प्राप्ति रसीद/टोकन निर्गत कर इसे पेंडिग रजिस्टर में अंकित करेंगे।

4. यदि लिंक बाधित रहने अथवा अन्य तकनीकी कारणों से दस्तावेज का निबंधन दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि को सम्पन्न करना संभव न हो तो लिंक पुनः स्थापित होते ही/तकनीकी कठिनाई दूर होते ही पक्षकार को दस्तावेज वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

5.. यह अधिूसचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(प्रताप चन्द्र किचिंगिया)

संयुक्त सचिव,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,

झारखण्ड, रांची।

कृ॰पृ॰ऊ॰

Notification Retuning the Document Same dated

ज्ञापांक :— नि॰ (विविध)—04/16 रांची, दिनांक........

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ह0/—
संयुक्त सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :— नि॰ (विविध)—04/16 रांची, दिनांक........

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
संयुक्त सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :— नि॰ (विविध)—04/16 – 217 रांची, दिनांक 27-2-16

प्रतिलिपि :— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त—सह—जिला निबंधक, झारखण्ड/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक, झारखण्ड/सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 26/2/16
संयुक्त सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

Notification Retuning the Document Same dated